

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 23.01.2025

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना फतनपुर के मुख्य आरक्षी राजेश यादव ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

मुख्य आरक्षी राजेश यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये मुख्य आरक्षी राजेश यादव को दिया जाएगा प्रशस्ति- पत्र,

नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजिका में उत्तम प्रविष्टि हेतु संबंधित को दिये गये निर्देश

छानापार नहर तिराहे के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गैंगस्टर संतोष उर्फ पंकज पाल पर हत्या, लूट व गैंगस्टर एक्ट के अभियोग थाना फतनपुर में अभियोग दर्ज हैं।

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना फतनपुर के बहादुर मुख्य आरक्षी राजेश यादव के सहयोग से दिनांक 23.01.2025 को

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 253/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त संतोष उर्फ पंकज पाल पुत्र दयाशंकर पाल

निवासी जगदीशपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत छानापार नहर तिराहे के पास से

गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- संतोष उर्फ पंकज पाल पुत्र दयाशंकर पाल निवासी जगदीशपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

आपराधिक इतिहास-

- संतोष उर्फ पंकज पाल पुत्र दयाशंकर पाल निवासी जगदीशपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ का

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 218/24 धारा 504, 506 भादवि0 थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0- 37/21 धारा 364, 302, 201, 120B भादवि0 थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0- 258/20 धारा 392, 120B भादवि0 थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

4- मु0अ0सं0- 253/2024 धारा 2/3 यू0 पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ०नि० गिरीशधर दूबे मय हमराह का० राजकिशोर यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मु०न० 2601/20 मु०अ०सं० 62/2000 धारा 324/323/504/506 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 1. राजेश कुमार पुत्र गंगा शिवराम शुक्ला निवासी ग्राम मिसिरमऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ 2. सदाशिव पुत्र भगवत प्रसाद निवासी ग्राम मिसिरमऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजेश कुमार पुत्र गंगा शिवराम शुक्ला निवासी ग्राम मिसिरमऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. सदाशिव पुत्र भगवत प्रसाद निवासी ग्राम मिसिरमऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० गिरीशधर दूबे मय हमराह का० राजकिशोर यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर के उ०नि० सुमित सिंह मय हमराह का० रजनेश कुमार व का० पंकज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, एसटी नं० 195/2015 क्राइम नं० 37/2013 धारा 323, 34, 452, 504, 506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 1. संजय कुमार पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम रेवती शुक्ल का पुरवा कटेहटी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय कुमार पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम रेवती शुक्ल का पुरवा कटेहटी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० सुमित सिंह मय हमराह का० रजनेश कुमार व का० पंकज कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अन्तू के उ०नि० गौतम बनर्जी मय हमराह उ०नि० सुरेश कुमार यादव, का० अनिल यादव, का० मनीष कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मु०नं० 4795/ 13 अ०सं० 136/13 धारा 354,352,504,506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त शरन शर्मा पुत्र माताफेर निवासी बहेलियापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना अन्तू के उ०नि० राम शंकर पाण्डेय मय हमराह कां० नागेन्द्र यादव, कां० विक्रम कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मु०नं०-5645/25 अ०सं०-240/23 धारा-342, 379, 411 भादवि० से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त लवकुश कुमार यादव पुत्र रामनिहोर यादव निवासी ग्राम बांसी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शरन शर्मा पुत्र माताफेर निवासी ग्राम बहेलियापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
2. लवकुश कुमार यादव पुत्र रामनिहोर यादव निवासी ग्राम बांसी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० गौतम बनर्जी मय हमराह उ०नि० सुरेश कुमार यादव, उ०नि० राम शंकर पाण्डेय, का० अनिल यादव, का० मनीष कुशवाहा, कां० नागेन्द्र यादव, कां० विक्रम कुमार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सर्तकता से 01 इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त अवैध तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर के मुख्य आरक्षी हरिश्चन्द्र बिन्द ने इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकजा

मुख्य आरक्षी हरिश्चन्द्र बिन्द ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना दिलीपपुर के मुख्य आरक्षी हरिश्चन्द्र बिन्द व आरक्षी निर्दोष कुमार को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

थाना दिलीपपुर के अतर्गत अभियुक्त को थानाक्षेत्र दिलीपपुर के बाबा बेलखरनाथ पुल के पास ग्राम यहियापुर के पास से किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अतंर्जनपदीय अभियुक्त लूट, मारपीट, आम्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे गम्भीर उपराध में संलिप्त हैं

दिनांक 22.01.2025 को थाना दिलीपपुर के आरक्षी निर्दोष कुमार के सहयोग से मु0अ0सं0 194/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 इनामियां वांछित अभियुक्त चन्दन पाठक पुत्र श्रीधर पाठक निवासी ग्राम नजियापुर (घोरका मुफरिद) थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को अवैध तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना दिलीपपुर के बहादुर मुख्य आरक्षी हरिश्चन्द्र बिन्द के सहयोग से आज दिनांक 23.01.2025 को थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 194/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना दिलीपपुर में 01 इनामियां वांछित अभियुक्त रोशन सिंह उर्फ राजकेशर सिंह पुत्र धनंजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम खूजीकला जनपद प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़ उम्र -32 वर्ष को थानाक्षेत्र दिलीपपुर के बेलखर नाथ पुल के पास ग्राम यहियापुर के पास से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 12/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रोशन सिंह उर्फ राजकेशर सिंह पुत्र धनंजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम खूजीकला जनपद प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़ उम्र -32 वर्ष

रोशन सिंह उर्फ राजकेशर सिंह पुत्र धनंजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम खूजीकला जनपद प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 009/23 धारा 323 504 भादवि दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 195/23 धारा 397, 504, 506 भादवि दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 85/15 धारा 323 भादवि कन्धई जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 151/23 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट फूलपुर गोमती कमि0 वाराणसी
5. मु0अ0सं0 346/11 धारा 325, 323, 504, 506 भादवि रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0 194/24 धारा 2/3 यूपी गैंग0 एक्ट थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 12/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत सेमरा पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बजाज पल्सर, 04 अदद नम्बर प्लेट व धोखाधड़ी के 39,500 रुपये बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18/01/25 को अठेहा बाजार में एक साइबर कैफे से 51000 रुपये की धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 09/25 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 ओमप्रकाश यादव हमराह उ0नि0 कैलाश यादव, हे0का0 राममिलन यादव, का0 राहुल प्रताप सिंह, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/25 धारा 318(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त आलोक कुमार मिश्रा उर्फ विक्की पुत्र कमलाकान्त मिश्रा निवासी ग्राम पूरेदेवीदीन सिंह का पुरवा मजरे बिरनावां थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली को थानाक्षेत्र उदयपुर के सेमरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । उक्त मुकदमें में बरामदगी के आधार पर धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई ।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 18.01.2025 को मैंने ही अठेहा में मो0 अखतर की दुकान से 51000 रुपये का धोखाधड़ी किया था । आज किसी दूसरी जगह पर धोखाधड़ी करने के लिये जा रहा था । कि आप लोगों ने पकड लिया पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसकी जीन्स की दाहिनी जेब से 29500 रुपये तथा पीछे की जेब से 10000 रुपये बरामद हुए पूछने पर बताया कि यह वही पैसे हैं जो मैंने अठेहा से धोखाधड़ी किये थे । तथा मोटर साइकिल के सम्बन्धित कागजात मांगने पर दिखाने से कासिर रहा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आलोक कुमार मिश्रा उर्फ विक्की पुत्र कमलाकान्त मिश्रा निवासी ग्राम पूरेदेवीदीन सिंह का पुरवा मजरे बिरनावां थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली ।

बरामदगी-

1- 01 अदद मोटर साइकिल बजाज पल्सर ।

2- 04 अदद नम्बर प्लेट ।

3- धोखाधड़ी के 39,500 रुपये बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ओमप्रकाश यादव हमराह उ0नि0 कैलाश यादव, हे0का0 राममिलन यादव, का0 राहुल प्रताप सिंह, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महेशगंज पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के गोपालापुर अंडरपास गंगा एक्सप्रेस-वे के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 16.10.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में अन्तर्गत धारा -137(2), 87 बी0एन0एस0 का अभियोग बनाम 01 नामजद अभियुक्त पंजीकृत है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 विनय कुमार, का0 राहुल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा -137(2), 87 बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित अभियुक्त अंकुश सरोज (गोलू) पुत्र बंशीलाला निवासी ग्राम बोधी का पूरवा झींगुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 23.01.2025 को थानाक्षेत्र महेशगंज के गोपालापुर अंडरपास गंगा एक्सप्रेस वे के पास से गिरफ्तार किया गया । उक्त अभियोग से संबंधित पीड़िता/ अपहृता सकुशल बरामद ।

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 64(2)इ बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अंकुश सरोज (गोलू) पुत्र बंशीलाला निवासी ग्राम बोधी का पूरवा झींगुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 विनय कुमार, का0 राहुल थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ढकवा ओवरब्रिज के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 01.07.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में अन्तर्गत धारा -363 भादवि० का अभियोग बनाम 02 नामजद अभियुक्त पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ०नि० योगेन्द्र सिंह मय हमराह हे०का० श्रीप्रकाश, हे०का० राजनारायण पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा -363 भादवि० से संबंधित वांछित अभियुक्त दुर्गेश गौतम पुत्र विनोद गौतम निवासी ग्राम कर्वेली थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर को दिनांक 23.01.2025 को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के ढकवा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 366, 376(3) भादवि० व 3/4 व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-दुर्गेश गौतम पुत्र विनोद गौतम निवासी ग्राम कर्वेली थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० योगेन्द्र सिंह मय हमराह हे०का० श्रीप्रकाश, हे०का० राजनारायण पटेल थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना आसपुर देवसरा के उ०नि० रियाजुद्दीन अहमद मय हमराह का० मोनू कुमार, कां० गौतम मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, वाद सं०-10107/21 मु०अ०सं०-156/1996 धारा 324,504,506 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 1. रामआधार पुत्र राम अवध 2. महादेव पुत्र रामलाल निवासीगण ग्राम भवसरनपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रामआधार पुत्र राम अवध निवासी ग्राम भवसरनपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
2. महादेव पुत्र रामलाल निवासी ग्राम भवसरनपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० रियाजुद्दीन अहमद मय हमराह का० मोनू कुमार, कां० गौतम मौर्या थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० राजनाथ यादव मय हमराह हे०का० बृजेश शुक्ला व का० राजू गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, अ०सं० 206/ 92 धारा 323/325/506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त टिल्लू उर्फ हरिश्चन्द्र पुत्र नान्हू नि० निवासी नरी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1.टिल्लू उर्फ हरिश्चन्द्र पुत्र नान्हू नि० निवासी नरी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० राजनाथ यादव मय हमराह हे०का० बृजेश शुक्ला व का० राजू गौड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त शाहिद उर्फ पिंकू पुत्र सुन्दी के कब्जे से 05 अदद देशी बम बरामद किये गये

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत रामपुर कसिहा पुल के पास से 01 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त पर दुष्कर्म, लूट, चोरी, गुण्डा, गैगस्टर व आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों के 15 अभियोग विभिन्न जनपदों में है दर्ज

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ०नि० घनश्याम यादव मय हमराह का० गिरजाशंकर, का० सुरेन्द्र कुमार, का० विधिचन्द्र द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.01.2025 को 05 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त शाहिद उर्फ पिंकू पुत्र सुन्दी अली निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के रामपुर कसिहा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद उर्फ पिंकू पुत्र सुन्दी अली निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 05 अदद देशी बम बरामद किया गया । बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 10/25 धारा 4/ 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शाहिद उर्फ पिंकू पुत्र सुन्दी अली निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

01- मु०अ०सं-79/21 धारा 506/504/323 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02- मु०अ०सं०-105/21 धारा 468/467/420/419/413/411 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

03- मु०अ०सं०- 447/21 धारा 411/392 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

04- मु०अ०सं०-452/21 धारा 411/392 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

05- मु०अ०सं०-270/21 धारा 363/366/376/365 भादवि व पाक्सो एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

06- मु०अ०सं०-16/22 धारा 2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

07- मु०अ०सं०-71/20 धारा 188 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

08.- मु०अ०सं०- 95/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

09- मु०अ०सं०- 03/24 धारा 3 (1) यूपी गुण्डा एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

- 10- मु0अ0सं0- 129/24 धारा 352/115(2)/333/351(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 11- मु0अ0सं0- 127/24 धारा 191(2)/115(2)/333/351 (2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 12- मु0अ0सं0-10/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 13- मु0अ0सं0- 247/24 धारा 303(2), 317 (2),352 बीएनएस थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी ।
- 14- मु0अ0सं0-30724 धारा 303(2), 317 (2) बीएनएस थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी ।
- 15- मु0अ0सं0- 332/24 धारा 132 बीएनएस थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी ।
- बरामदगी-
- 05 अदद देशी बम बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह का० गिरजाशंकर, का0 सुरेन्द्र कुमार, का0 विधिचन्द्र थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।